रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2018/आश्विन 13, 1940
No. 325] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2018/ASVINA 13, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2018

सं. 1 (14)/2018-एसपी-I.—केंद्रीय सरकार चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए चीनी मिलों में नकदी की स्थिति में सुधार करते हुए चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात को सुगम बनाने की दृष्टि से एतद्द्वारा निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने के संबंध में स्कीम निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

1. सहायता का प्रयोजन:

निर्यात को सुगम बनाने के लिए सहायता के रूप में प्रदान की गई निधियों का उपयोग चीनी मौसम 2018-19 के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में उस चीनी मौसम हेतु किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का भुगतान करने और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

2. पात्रता

जो मिलें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी वे इस स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र होंगी:-

(क) जिन मिलों के पास इथेनोल उत्पादन की क्षमता है और जिन्होंने इथेनोल की आपूर्ति करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के पश्चात खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को दावा प्रस्तुत करने वाले माह से पूर्ववर्ती माह तक इथेनोल मौसम 2018-19 के दौरान तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल के साथ ब्लेंडेड इथेनोल कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत इथेनोल की मांगी गई मात्रा की कम से कम 80 प्रतिशत की आपूर्ति कर दी हो।

(ख) मिलों ने चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा यथा निर्धारित गन्ने की पेराई, चीनी के उत्पादन, चीनी और सह-उत्पादों की बिक्री आदि से संबंधित आंकड़ों संबंधी ऑनलाइन अद्यतन विवरणी प्रपत्र-2 में दाखिल की हो।

(ग) मिल द्वारा दावा प्रस्तुत करने की तिथि तक चीनी मौसम 2018-19 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चीनी मिलों को जारी सभी आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया हो।

3. सहायता की रूपरेखा और सीमा:

(i) चीनी मिलें जिन्होंने चीनी मौसम 2018-19 के दौरान खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी का घरेलू रूप से निर्यात किया है किन्तु किसी अन्य कारखाने से चीनी लेते हुए स्वयं अथवा किसी निर्यातक के माध्यम से 'अग्रिम लाइसेंस' के तहत नहीं किया है, चीनी मौसम 2018-19 के दौरान निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों के संबंध में केंद्र सरकार से बंदरगाह से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित मिलों के लिए 1000 रुपए प्रति टन की दर से, तटवर्ती राज्यों में बंदरगाह से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित मिलों के लिए 2500 रुपए प्रति टन की दर से तथा तटवर्ती राज्यों के अलावा स्थित मिलों के लिए 3000 रुपए प्रति टन की दर से, जो भी कम हो भुगतान के लिए पात्र होंगी।

(ii) इस सहायता का उपयोग चीनी मौसम 2018-19 के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में उस चीनी मौसम हेतु किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का भुगतान करने और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता किसानों के खातों में सीधे जमा की जाती है, चीनी मिल किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में एक अलग नो-लियन खाता खोलेगी और उक्त बैंक को गन्ना किसानों के बैंक खातों के ब्यौरे सहित उनकी सूची तथा उचित और लाभकारी मूल्य से संबंधित वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 के लिए देय गन्ना मूल्य बकाया की सीमा और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का ब्यौरा देगी, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/गन्ना निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा। बैंक, देय गन्ना बकाया के संबंध में मिलों की ओर से किसानों के खातों में राशि जमा करेंगे तथा आगामी शेष, यदि कोई हो, मिल के खाते में जमा किया जाएगा।

(iv) वित्तीय सेवाएं विभाग इस संबंध में बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा।

(v) चीनी मिलें निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने के हेतु चीनी मिलें उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने के बाद इस अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-क में स्कीम के तहत सहायता के लिए दावा "मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली" को प्रस्तुत करेगी।

(vi) चीनी मिल जिसने अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत जारी लाइसेंस को रद्द कराके घरेलू चीनी निर्माता से इनपुट के रूप में प्राप्त रॉ-चीनी का मूल्य संवर्धन करते हुए चीनी रिफाइनरी के माध्यम से रिफाइन्ड चीनी का निर्यात किया है, उसे घरेलू उत्पादित चीनी का निर्यात माना जाएगा तथा मूल रूप से रॉ-चीनी का उत्पादन करने वाली चीनी मिल इस प्रकार निर्यातित रिफाइन्ड चीनी की मात्रा के संबंध में इस स्कीम में उल्लिखित सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। रॉ-चीनी उत्पादक तथा चीनी रिफाइनरी इस प्रयोजनार्थ एक समझौता करेंगे, जिसकी एक प्रति दावें के साथ भी जमा की जाएगी। आपूर्ति की जाने वाली रॉ-चीनी तथा रिफाइन्ड चीनी की मात्रा जिसका उत्पादन निर्यात के लिए उपर्युक्त रॉ-चीनी से किया जाएगा, स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए, यह प्रोफॉर्मा- क में विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के अतिरिक्त होगा।

(vii) यह दावा निर्यात के अंतिम बैंक प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तथा किए गए निर्यात के संबंध में बैंक द्वारा की गई वसूली से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्यात के अंतिम बैंक प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तथा वसूली की तिथि से 90 दिनों से अधिक किन्तु अधिकतम 180 दिनों के भीतर, अनुमेय राशि के 10 प्रतिशत की कटौती की शर्त पर, विलंब से प्रस्तुत दावे स्वीकार किए जाएंगे। संदर्भ के अधीन किसी विशिष्ट माह के दौरान किए गए निर्यात के संबंध में निर्यात के अंतिम बैंक प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तथा वसूली की तिथि से 180 दिनों के पश्चात कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. उपयोग प्रमाणपत्र:

संबंधित चीनी मिल सहायता जारी करने की तारीख से तीन माह के भीतर यह प्रमाणित करते हुए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि इस प्रकार जारी की गई सहायता का उपयोग इस स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है, जो संबंधित गन्ना आयुक्त/निदेशक (चीनी) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होगा। निर्धारित समय के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर मिल को केंद्रीय सरकार द्वारा बाद में घोषित किसी अन्य स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने से वारित कर दिया जाएगा और पहले से जारी की गई राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

5. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मासिक आधार पर घरेलू और वैश्विक बाजार, दोनों में चीनी के मूल्यों की बारीकी से निगरानी करेगा तथा चीनी की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करेगा। यदि चीनी की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने पर उद्योग की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित स्तर से मूल्य काफी अधिक होने का अनुमान

लगाया जाता है तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस स्कीम में किसी भी समय संशोधन कर सकता है अथवा स्कीम को बंद कर सकता है।

6. जहां खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है।

प्रपत्र-क

निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने के लिए आवेदन फार्म

1. उत्पादक का विवरण:

(क) नाम:

(ख) प्लांट कोड और संक्षिप्त नाम:

(ग) पूरा पता:

(घ) टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल:

2. निर्यातक का नाम और पता:

3. चीनी के निर्यात का विवरण:

(क) निर्यात की गई चीनी की मात्रा (टन में):

(ख) क्या रॉ/व्हाइट/रिफांइड चीनी का निर्यात किया गया:

(ग) क्या यह निर्यात खुला सामान्य लाइसेंस/रॉ-चीनी की आपूर्ति की तुलना में रिफाइनरियों से रिफाइंड चीनी के निर्यात/इनवेलिडेशन के विरूद्ध अग्रिम लाइसेंस के अधीन किया गया है:

4. निर्यात तथा प्राप्ति के संबंध में अंतिम बैंक प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि (बीआरसी जारी होने की तिथि):

5. मिल के कार्य-निष्पादन का विवरण:

(क) इथेनोल मौसम 2018-19 (दिसंबर, 2018 – नवंबर, 2019) के दौरान संविदाकृत इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में):

(ख) इथेनोल मौसम 2018-19 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को दावा प्रस्तुत करने के पूर्ववर्ती माह तक तेल विपणन कंपनियों द्वारा मांगी गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में):

(ग) इथेनोल मौसम 2018-19 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को दावा प्रस्तुत करने के पूर्ववर्ती माह तक आपूर्ति की गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में):

(घ) क्या प्रपत्र-2 में अद्यतन आंकड़े ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए हैं: हां/नहीं

(ङ.) क्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है: हां/नहीं

(च) (यदि हां, तो प्रत्येक निदेश के संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित समर्थक दस्तावेज सत्यापन हेतु पस्तुत करें)

6. दावे की राशि (रूपए में):

7. दावे का प्रकार (जो प्रकार लागू हो उस पर सही (√) का निशान लगाए):

(क) रॉ-चीनी का निर्यात, स्वयं अथवा व्यापारी निर्यातक के माध्यम से

(ख) व्हाइट चीनी का निर्यात, स्वयं अथवा व्यापारी निर्यातक के माध्यम से

(ग) खुली बिक्री अथवा एएएस के निरस्तीकरण के अंतर्गत किसी अन्य कारखाने से खरीदी गई रॉ-चीनी से उत्पादित रिफाइंड चीनी का निर्यात

8. चीनी निर्यात के संबंध में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:

(i) निर्यात अनुमति आदेश (एलईओ), बीआरसी, लदान बिल की तिथि दर्शाते हुए सभी शिपिंग बिल की प्रतियां।

(ii) आंतरिक ढुलाई तथा मालभाड़े के लिए ट्रांसपोर्टर/सीएफएस, रेलवे द्वारा दिए गए बिलों की प्रतियां।

(iii) हैंडलिंग प्रभारों के लिए बिलों की प्रतियां।

(iv) बीमा तथा भांडागारण लागत के लिए बिलों की प्रतियां।

(v) प्रभारों के लिए बिलों की प्रतियां।

(vi) यदि रिफाइंड चीनी का निर्यात किसी रिफाइनरी द्वारा किसी अन्य कारखाने से खरीदी गई रॉ-चीनी से किया गया है तो रॉ-चीनी उत्पादक तथा चीनी रिफाइनरी के बीच समझौते की दावाकर्ता चीनी मिल द्वारा प्रमाणित प्रति।

(vii) अनुबंध-1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पूर्व-रसीदी बिल।

(viii) यह निर्यात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत नहीं किया गया है यह दर्शाते हुए 50 रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र।

(चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

(कृपया नाम लिखें और और मुहर लगाएं)

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-1

इथेनोल मौसम 2018-19 के दौरान ईबीपी के अंतर्गत तेल विपणन कम्पनियों को इथेनोल की आपूर्ति से संबंधित आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

चीनी मिल का नाम	राज्य	इथेनोल मौसम 2018-19 के दौरान तेल विपणन कम्पनियों के साथ संविदाकृत इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में)	प्रोफार्मा के पैरा 3(ख) में यथा उल्लिखित माह तक तेल विपणन कम्पनियों द्वारा आपूर्ति के लिए मांग की गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में)	तदनुरूपी अवधि के संबंध में तेल विपणन कम्पनियों द्वारा मांग की गई इथेनोल की मात्रा (किलोलीटर में)	अभ्युक्ति
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

स्थान:

(चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

(कृपया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)

दिनांक:

अनुबंध - 2

निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने के के लिए हेतु पूर्व रसीदी बिल

कारखाने का नाम और पता :

प्लांट कोड और संक्षिप्त नाम:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से ..... रुपए (..... रुपए केवल) की राशि प्राप्त की।

घोषणा :

1. मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना सही है और इसमें से कोई भी संगत सूचना छुपाई नहीं गई है।
2. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दावा निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने के संबंध में अंतिम निपटान के विरुद्ध किया गया है।
3. मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि चीनी मिल को निर्यात के संबंध में आतंरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने के संबंध में उपर्युक्त क्रम सं. 2 पर उल्लिखित अवधि के दौरान चीनी की निर्यात की गई मात्रा के संबंध में भारत सरकार से कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है।
4. मैं, यदि ऊपर दिए गए दावे में कोई सूचना कभी भी असत्य पाई जाती है और यदि इस अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया हो, तो अपेक्षानुसार मुझे प्राप्त दावे की ऐसी राशि ब्याज सहित केंद्र सरकार को वापस करने का एतदद्वारा अभिवचन देता हूं।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं उपर्युक्त चीनी मिल के प्रोप्राइटर अथवा भागीदार अथवा कम्पनी अथवा कब्जेदार अथवा मालिक की ओर से उपर्युक्त घोषणा करने और इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम हूं।

स्थान: (चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

(कृपया हस्ताक्षरकर्ता के नाम और पदनाम का उल्लेख करें और मुहर लगाएं)

दिनांक:

[फा. सं. 1(14)/2018–एस पी–I]

प्रमोद कुमार तिवारी , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2018

No. 1(14)/2018-S.P-I.—The Central Government, with a view to facilitate export of sugar during the sugar season 2018-19 thereby improving the liquidity position of sugar mills enabling them to clear cane price dues of farmers for sugar season 2018-19, hereby notifies the Scheme for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export as under:

1. Purpose of Assistance:

The funds to be provided as assistance to facilitate export is to be used for payment of cane price dues of farmers for the sugar season 2018-19 relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane fixed by the Central Government for that sugar season and cane price arrears of previous sugar seasons.

2. Eligibility:

Mills which fulfill the following conditions will be eligible for assistance under this Scheme:

(a) Mills having ethanol production capacity and who have signed contracts with Oil Marketing Companies (OMCs) for supply of ethanol, should have supplied at least 80% of indented quantity of ethanol under Ethanol Blended with Petrol Programme (EBP) to OMCs during 2018-19 Ethanol Season (ES) up to the preceding month during which the claim is submitted to DFPD on completion of other requisite parameters.

(b) The mill should have filed updated online return in Proforma-II relating to data on crushing of cane, production of sugar, sale of sugar and by-products, etc as prescribed by DFPD under the provisions of Sugar (Control) Order, 1966.

(c) The mill should have fully complied with all the orders/directives of Department of Food and Public Distribution (DFPD) to the sugar mills for compliance during sugar season 2018-19 till the date of submission of the claim.

3. Modalities and Extent of Assistance:

(i) Sugar mill which has exported domestically manufactured sugar under Open General License but not under " advance license' either itself or through an exporter by sourcing sugar from any other factory during sugar season 2018-19, shall be eligible for payment from the Central Government towards internal transport, freight, handling and other charges to facilitate export during the sugar season 2018-19 @ Rs.1000/MT for the mills located within 100 kilometers from the ports, @ Rs.2500/MT for mills located beyond 100 kilometers from the port in coastal states and @ Rs.3000/MT for mills located in other than coastal states or actual expenditure, whichever is lower.

(ii) The assistance is to be used for payment of cane price dues of farmers for the sugar season 2018-19 relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane fixed by the Central Government for that sugar season and cane price arrears of previous sugar seasons.

(iii) In order to ensure that the assistance is directly credited into the accounts of farmers, the sugar mill shall open a separate no-lien account in a nationalized bank/cooperative bank and furnish to that bank the list of farmers along with bank accounts details and extent of cane price dues payable to the farmers for the sugar season 2018-19 relating to FRP and cane price arrears of previous sugar seasons, duly certified by the Cane Commissioner / Director of Sugar of the state concerned. The bank shall credit the amount of assistance to the farmers' accounts on behalf of the mills against cane dues payable and subsequent balance, if any, shall be credited into mill's account.

(iv) The Department of Financial Services (DFS) shall issue suitable instructions to the banks in this regard.

(v) The sugar mills shall submit the claim for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export in the prescribed Proforma-A annexed with this notification after fulfilling the eligibility criteria as referred in para (2) above to the "Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar & Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi".

(vi) The sugar mill which exported refined sugar through a sugar refinery by way of value addition to raw sugar obtained as input from a domestic sugar manufacturer by invalidation of license issued under Advance Authorization Scheme (AAS), shall be considered to have exported domestically manufactured sugar, and the sugar mill which has originally manufactured the raw sugar shall be eligible to receive assistance referred to in this scheme in respect of the quantity of refined sugar so exported. The raw sugar manufacturer and the sugar refinery for that purpose shall enter into an agreement, a copy of which shall also be submitted with the claim. This would be in addition to other requisite documents specified in proforma A, clearly indicating the quantity of raw sugar to be supplied and the quantity of refined sugar which shall be produced from the above said raw sugar for exports.

(vii) The claim should be submitted within ninety days from the date of issue of last bank certificate of export and realization by the bank for the exports made. Delayed submissions beyond ninety days but upto a maximum of one hundred eighty days from the date of issue of last bank certificate of export and realization would be allowed, subject to a deduction of 10 per cent of the admissible amount. No claim shall be admissible after one hundred eighty days from the date of ' issue of last bank certificate of export and realization with respect to exports made during the particular month under consideration.

4. Utilization Certificate:

The sugar mill concerned shall submit utilization certificate duly counter signed by the respective Sugarcane Commissioner / Director (Sugar) within three months from the date of release of assistance certifying that the assistance so released has been utilized for the purpose specified in this Scheme. Any failure to submit the utilization certificate within stipulated time would debar the mill from availing benefit under any other scheme subsequently announced by the Central Government and action will be initiated for recovery of the amount already released.

5. DFPD shall closely monitor the prices of sugar, both in domestic as well as global markets and review the availability position of sugar on monthly basis. DFPD may at any time amend or withdraw the scheme in case prices are assessed to be substantially higher than levels required for operational viability of the industry or on reviewing the availability position of sugar.

6. Where DFPD is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, modify any of the provisions of this scheme.

PROFORMA - A

APPLICATION FORM FOR DEFRAYING EXPENDITURE TOWARDS INTERNAL TRANSPORT, FREIGHT, HANDLING AND OTHER CHARGES ON EXPORT.

1. Details of manufacturer:-

(a) Name :

(b) Plant Code and Short Name :

(c) Complete address :

(d) Telephone(s) number, Fax number and e. mail :

2. Name and address of exporter :

3. Details of export of sugar :

(a) Quantity of sugar exported (in tonne) :

(b) Whether Raw/White/Refined Sugar exported :

(c) Is the export made under OGL/export of refined sugar from refineries against supply of raw sugar/ advance License against invalidation :

4. Date of issue of last bank certificate of export and realization (Date of issue of BRC)

5. Details of performance achieved by mills in respect of ethanol supply (for mills having ethanol production capacity) :

(a) Quantity of ethanol contracted during ES 2018-19 (December, 2018-November, 2019) (in Kilo ltrs) :

(b) Quantity of ethanol indented by OMCs (in Kilo ltrs) during ES 2018-19 upto the preceding month in which the claim is submitted to DFPD :

(c) Quantity of ethanol supplied (in Kilo ltrs) during ES 2018-19 upto the preceding month in which the claim is submitted to DFPD :

(d) Whether updated data in Proforma-II is filed online : Yes/No.

(e) Whether all Orders/Directives of DFPD have been fully complied with : Yes/No

(f) (If yes, furnish the supporting documents for each of the directives, duly certified by the concerned State/UT authority for verification)

6. Amount of Claim (in Rs.) :

7. Type of Claim (Tick the type applicable) :

(a) Export of raw sugar either self or through merchant exporter

(b) Export of white/refined sugar either self or through merchant exporter

(c) Exports of refined sugar, manufactured from raw sugar of another factory

procured either under open sale or against invalidation of AAS.

8. Details of documents enclosed in connection with sugar export :

(i) Copies of all the shipping Bills indicating Let Export Order (LEO) date, BRCs, bill of lading.

(ii) Copies of bills raised by Transporter, CHA/CFS, Railways against Internal Transport and Freight.

(iii) Copies of bills against Handling Charges.

(iv) Copies of bills against Insurance and Warehousing Cost

(v) Copies of bills against other charges.

(vi) In case of export of refined sugar made by the sugar refinery from raw sugar procured from another factory, copy of agreement between the raw sugar manufacturer and the sugar refinery, authenticated by the Claimant sugar mill.

(vii) Pre—receipted bill in the prescribed proforma as at Annexure - 1.

(viii) Affidavit in non-judicial stamp paper of Rs. 50 indicating that the exports are not under advance license.

Place : (Name And designation of authorized signatory of the sugar factory)

Date : (Please indicate the name and affix the seal)

Annexure-I

Statement showing data on Supply of Ethanol to Oil Marketing companies (OMCs) under EBP during 2018-19 Ethanol Season (ES).

Name of the sugar mill	State	Quantity of ethanol contracted during 2018-19 ES with OMCs (in Kilo ltrs)	Quantity of ethanol indented by OMCs for supply upto the month as referred in para 3(b) of Proforma (in Kilo ltrs)	Quantity of enthanol to OMCs against the quantity indented for the corresponding period (in Kilo ltrs)	Remark
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

Place: (signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date

(Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal

Annexure-II

PRE-RECEII'TED BILL FOR DEFRAYING EXPENDITURE TOWARDS INTERNAL TRANSPORT, FREIGHT, HANDLING AND OTHER CHARGES ON EXPORT.

Name and address of the factory : Plant Code and Short Name……

Received a sum of Rs. ……..(Rupees. ……only)

from the Department of Food and Public Distribution.

DECLARATION:

1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant

information has been concealed thereof.

2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement against defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export.

3. I hereby certify that sugar mill did not receive reimbursement of expenditure incurred on internal transport, freight, handling and other charges on export from the Government of India for the quantity of sugar exported during the period mentioned at serial number 2 above prior to the submission of this claim.

4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time and if the provisions of this notification are not adhered to.

5. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar mill.

Place: (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

(Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

[F.No. 1(14)/2018-SP-I]

PRAMOD KUMAR TIWARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.10 11:55:05 +05'30'